

2025/282

मिर्षि

फर्द अहकाम

19.5.2025

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
प्रेमकुमार बनाम इन्द्राज आदि

मार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 202 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.05.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 15.05.2025 को पेश हो।	
14.5.2025	वकील प्रतिकर्षी ने पारवना-पत्र मिर्षाल पेक्की केरा करते पर पत्रावली को पेक्की में लिया गया। कुकुलार फडिसेन उपखण्ड प्रतिकर्षी से 15.5.2025 के लिए वकील सुभाषितने 34खखर आकर वक्रवाल दावा पेक्की किया जिसे शांतिल फरिल किया गया। प्रजावली करते करे पर एक फरिल लगी पर 16.5.2025 को पेक्की हो।	प्रेमकुमार इन्द्राज मिर्षि कुमार पूजा
16.5.2025	कुकुलार फडिसेन उपखण्ड प्रतिकर्षी से 16.5.2025 के लिए वकील सुभाषितने 34खखर आकर वक्रवाल दावा पेक्की किया जिसे शांतिल फरिल किया गया। प्रजावली करते करे पर एक फरिल लगी पर 16.5.2025 को पेक्की हो।	
19.5.2025	कुकुलार फडिसेन उपखण्ड प्रतिकर्षी करे पर एक फरिल लगी पर 19.5.2025 के लिए वकील सुभाषितने 34खखर आकर वक्रवाल दावा पेक्की किया जिसे शांतिल फरिल किया गया। प्रजावली करते करे पर एक फरिल लगी पर 19.5.2025 को पेक्की हो।	

